36

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भूरा / 2018 / 2346 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—03—2018 के द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 05 / बी—121 / 2017—18.

.....

1—अमरजीत छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री वजीचन्द्र छाबड़ा
निवासी लाजपतराय मार्ग अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0 प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—तहसीलदार तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0प्र0
2—डा0 श्रीमती समता जैन पत्नी
श्री डा0 संजीव कुमार जैन
निवासी रामपुरा सरकारी हॉस्पीटल के पीछे
अशोक नगर जिला अशोक नगर म0 प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
पैनल अभिभाषक, अनावेदक कमांक—1
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क—2

.....

आदेश

(आज दिनांक 09-07-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—3—2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कस्वा अशोकनगर में स्थित सर्वे कमांक 904/2 मि0 5/1 में से रकवा 0.209 है0 एवं सर्वे कमांक 905/मिन 8 में से रकवा 0.029 कुल रकवा 0.230 है0 भूमि विकेता गुरू प्यारसिंह आदि द्वारा अनावेदक कमांक 2 को विकय कर दी गई, उक्त भूमि विकेता गुरू प्यारसिंह आदि को आवेदक ने विकय की थी। अनावेदक कमांक–2 द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय में 17/अ–6/2017–18 पंजीबद्व हुआ लेकिन आवेदक द्वारा नामांतरण में आपत्ति लगाई गई कि न तो पटवारी प्रतिवेदन मंगाया गया, और न ही आवेदक की आपत्ति का निराकरण किया गया। इस हेतु उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि प्रकरण में नजदीक की पेशी लगाई जा रही है एवं तहसीलदार से एवं अनावेदक–2 के मधुर संबंध होने से प्रकरण में न्याय मिलने की संभावना नहीं है इस हेतु उनके द्वारा धारा–29 का आवेदन आयुक्त ग्वालियर को प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 22.–3–18 को निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर एंव अनावेदक कमांक–2 की मिलीभगत होने से आवेदक को पर्याप्त सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया जा रहा था क्यों कि उनके आपस में मधुर संबंध है जिसके कारण आवेदक को निष्पक्ष न्याय मिलना संभव नहीं है। इस कारण आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में धारा 29 का आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उस आवेदन पर विचार न करते हुये अवैधानिक रूप से आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.1.18 को अंतिम तर्क हेतु पेशी नियत कर दी जबकि प्रकरण में ना तो किसी की साक्ष्य ली गई और ना ही सुना गया। अनावेदक कमांक–2 काफी प्रभावशील व्यक्ति हैं जिससे न्याय की उम्मीद आवेदक को नहीं होने से आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में जो आवेदन धारा 29 का दिया गया था वह बिना विचार किये निरस्त किया गया है ऐसे आदेश को स्थिर रखा जाना संभव नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 22–3–2018 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक–2 द्वारा विधिवत विकय पत्र से भूमि को कय किया गया है और विकय पत्र के आधार पर ही उसके द्वारा नामांतरण कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन आवेदक द्वारा बिना किसी कारण के आपत्ति लगाई गई और एक संबंधित पीठासीन अधिकारी के यहां से प्रकरण को दूसरे न्यायालय में हस्तातंरण करने का आवेदन प्रस्तुत किया जो आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 22.3.18 को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक जानबूझ कर प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से यह सभी आरोप एक पीठासीन अधिकारी के ऊपर लगाये जा रहे है। अनावेदक कमांक–2 एवं संबंधित पीठासीन अधिकारी के मध्य कोई संबंध नहीं है, पीठासीन अधिकारी अपनी कानूनी प्रकिया का पालन नियमानुसार कर रहे है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त कर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 22–3–2018 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक कमांक–2 द्वारा अशोकनगर में स्थित सर्वे कमांक 904 / 2 मि0 5 / 1 में से रकवा 0.209 है0 एवं सर्वे कमांक 905 / मिन 8 में से रकवा 0.029 कुल रकवा 0.230 है0 का नामांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 110 पर संलग्न है, तथां आवेदक द्वारा जो आपत्ति लगाई गई है उसका जबाव अनावेदक कमांक–2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण के पृष्ठ कमांक–114 पर संलग्न है। अनावेदक कमांक–2 द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है और आवेदक को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है और अनावेदक कमांक–2 द्वारा भूमि को कय कर कब्जा प्राप्त किया है। उसी के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपनी कार्यवाही संचालित की जा रही है, आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे तहसीलदार से न्याय की संभावना नहीं है जबकि आपत्तिकर्ता को तामील सम्मन भेजी गई, न मिलने पर पुनः तामील भेजने के आदेश दिये गये थे। आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण एवं कारण नहीं बताया गया है जिससे तहसीलदार तहसील अशोकनगर की

कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया जा सके। इससे स्पष्ट है कि आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 22–3–2018 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 05 / बी–121 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 22–3–2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर